

पीठासीन अधिकारी : चन्द्रशेखर

मिसल नं.-

28/2024

सरकार

बनाम

हवासिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी
ढाणी चौहान तहसील सूरजगढ

किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक: 27.05.2024

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल हवासिंह पुत्र अमीलाल, जाति जाट निवासी चोहानों की ढाणी तहसील सूरजगढ द्वारा रोही मौजा चौहानों की ढाणी की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 395/56 के कुल रकबा 21.85 है गै. मु. जोहड में से 0.07 है। भूमि पर मकान व बाग कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने जरिये पुत्र हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 100 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर)

तहसीलदार, सूरजगढ

RajKaj Ref
7523589



Signature valid

Digitally signed by Chander Shekhar
Designation: Tehsildar
Date: 2024.05.27 15:02:35 IST
Reason: Approved